

प्रेस नोट 25.04.19

1.दिनांक 24.04.19 को वादी श्री सत्य प्रकाश पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी उसरू थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कार नं0 यूपी 32 सीजे 2775 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की गाड़ी में टक्कर मार देना जिससे वादी को गम्भीर चोटें आना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 328/19 धारा 279, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 24.04.19 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र राम केवल निवासी लालपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज उपाध्याय पुत्र स्व0 सूर्यलाल निवासी लालपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को लाठी डण्डे से मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 123/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3.दिनांक 24.04.19 को वादी श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र राम उजागिर निवासी इस्माइलनगर सिहोंरा थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखिलेश पुत्र अवधेश निवासी इस्माइलनगर सिहोंरा थाना रौनाही, अयोध्या आदि 02 नफर लकड़ी रखने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 180/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4.दिनांक 24.04.19 को वादी श्री मुकेश कुमार निषाद ग्राम प्रधान जलालपुरमाफी थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सीताराम पुत्र राम अभिलाख निवासी जलालपुरमाफी थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी के मोबाइल पर फोन करके गाली व जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 244/19 धारा 504, 507 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.दिनांक 24.04.19 को वादी श्री मिल्ले पुत्र बाबूलाल निवासी बाबू सहादत का पुरवा मजरे रानिकपुर थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुड्डू पुत्र अली हैदर निवासी देवगॉव थाना कुमारगंज, अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 86/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।